डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
डिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

● वर्ष 62 ● अंक 19 ● भोपाल ● 1-15 मार्च, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

प्रदेश में 50 लाख किसानों की फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन शुरू

मुख्यमंत्री ने रतलाम में 40 हजार किसानों के 134 करोड़ के ऋण माफ कर किया योजना का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने रतलाम जिले के नामली में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की शुरूआत करते हुए 40 हजार से ज्यादा किसानों को 134 करोड़ रुपये फसल ऋण माफी के दस्तावेज सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस योजना में प्रदेश के 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है और इसके लिये सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार विकास को सालों पर नहीं छोड़ेगी, वह दिन–प्रति दिन और हफ्तों में विकास करने की पक्षधर है। इसी नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि हमारा वचन था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम ने तय समय–सीमा में यह वचन निभाया है। कम समय में इतनी बड़ी संख्या में किसानों की कर्ज माफी का यह एक अभूतपूर्व काम नई सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने कृषि क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना सबसे बड़ी चुनौती है। श्री नाथ ने कहा कि सरकार का यह मानना है कि जब तक हम किसानों को खुशहाल नहीं बनायेंगे, तब तक प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मजबूत बनाने के साथ ही अपने प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवानों को काम देना भी हमारा लक्ष्य है। हम प्रदेश में बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश को लाकर बेरोजगारी को भी खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार घोषणाओं की सरकार नहीं है। यह काम करने वाली सरकार है। हमने यह तय किया है कि कोई भी काम कई सालों पर नहीं टलेगा। हम प्रति दिन और हफ्तों में विकास की बुनियाद रखेंगे, जिससे लोगों को बदलाव महसूस हो और प्रदेश का तेजी से विकास संभव हो।

कर्ज माफी के पहले हितग्राही बने कृषक भैरूलाल राठौर

श्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना की शुरूआत करते हुए ग्राम नामली के किसान श्री बाबूलाल भैरूलाल राठौर को एक लाख 95 हजार 447 रुपये के फसल ऋण की माफी का प्रमाण–पत्र सौंपा। श्री राठौर प्रदेश में योजना के पहले लाभान्वित हितग्राही बने हैं। समारोह में 40 हजार से ज्यादा किसानों के 134 करोड़ रुपये से अधिक के फसल ऋण माफ किये गये। मुख्यमंत्री ने टोकन के रूप में कुछ किसानों को फसल ऋण माफी के प्रमाण–पत्र वितरित किये।

श्रेष्ठ कार्य के लिये सात सहकारी संस्थाएं पुरस्कृत

भोपाल। प्रदेश की सात सहकारी संस्थाओं को श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की पुरस्कार योजना में समन्वय भवन भोपाल में पुरस्कृत किया गया। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने संस्थाओं को पुरस्कार राशि और सम्मान–पत्र प्रदान किये। आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता श्री केदार शर्मा और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा भी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव श्री केसरी ने पुरस्कृत सहकारी संस्थाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे अपने सफल कार्यों की जानकारी अन्य संस्थाओं को भी दे जिससे सहकारी क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा मिले। श्री केसरी ने कहा कि उत्कृष्ट सहकारी संस्थाओं की महिला सदस्य अपने कार्य अनुभव अन्य सहकारी संस्थाओं से बाँटेंगी तो महिला सशक्तीकरण में भी सहयोग मिलेगा।

सहकारिता आयुक्त श्री केदार शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कार्य के लिये सम्मान मायने रखता है। उन्होंने पुरस्कृत संस्थाओं द्वारा आने वाले वर्ष में अन्य पात्र संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिये अनुशंसा का आग्रह किया जिससे उत्कृष्ट कार्य का सम्मान हो सके। प्रारंभ में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय निर्देशक श्री आर. के. लाला ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया से सहकारी संस्थाओं द्वारा पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित कर चयन समिति द्वारा संस्थाओं का चयन किया गया।

पुरस्कार के लिये चुनी गई संस्थाओं में आज प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति क्षेत्र में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था सौरवा, अलीराजपुर को 25 हजार का प्रथम और आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था चांदपुर, अलीराजपुर को 20 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। महिला श्रेणी में इंदौर की स्वश्री महिला साख सहकारी संस्था की श्रीमती मनोरमा जोशी को 25 हजार का प्रथम और डिण्डौरी जिले की समनापुर की रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारी समिति को 20 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। विपणन क्षेत्र में झाबुआ जिले के पेटलावद की विपणन सहकारी संस्था को 25 हजार का प्रथम और इंदौर जिले के राऊ की सहकारी शीतगृह संस्था को 20 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। थ्रिफ्ट क्षेत्र में सदगुरू साख सहकारी संस्था धार को पुरस्कृत किया गया।

संस्थाओं की उपलब्धियाँ

पुरस्कृत सहकारी संस्थाओं में मुर्गीपालन व्यवसाय का सफलता से संचालन कर अपनी सदस्यों को लाभांवित करने वाली डिंडोरी जिले की समनापुर सहकारी समिति भी शामिल है जिसके सदस्यों ने न सिर्फ लाभ कमाया बल्कि अन्य संस्थाओं को भी इसकी प्रेरणा दी। समिति के सदस्यों ने बताया कि समिति को निरन्तर आगे बढ़ाने का संकल्प है। इसी तरह इंदौर की स्वश्री महिला साख सहकारी संस्था के 17 हजार सदस्य हैं। इनकी कार्यशील पूँजी 20 करोड़ रुपये है। संस्था वित्तीय साक्षरता का कार्य निरंतर कर रही है। इंदौर जिले में ही राऊ में सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सात हजार मी. टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज संचालित करने वाली सहकारी शीतगृह संस्था ने 3 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। अलीराजपुर जिले की चाँदपुर की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था ने एक करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया है। संस्था ने दो लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है। संचालन श्री प्रेम द्विवेदी ने किया।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 40 नई 108 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने लाल परेड ग्राउंड में प्रदेश के नागरिकों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 40 नई 108 एंबुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री श्री आरिफ अकील, सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट एवं जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ द्वारा रवाना की गई नई चिकित्सा एंबुलेंस में जीवन रक्षक सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मौके पर बताया गया कि फरवरी माह के अंत तक 115 नई 108 एंबुलेंस शुरू की जाएंगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 'इंदिरा गृह ज्योति योजना' लागू

100 यूनिट का 100 रूपये और 100 यूनिट से कम पर वास्तविक बिल देय

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि प्रदेश में स्थायी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये **इंदिरा गृह ज्योति योजना** प्रारंभ की गयी है। योजना के हितग्राहियों को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जायेगा। लेकिन प्रचलित टैरिफ एवं विद्युत शुल्क जोड़कर 100 रुपये से कम बिल होने पर वास्तविक राशि ही देय होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के लागू होने से ऊर्जा विभाग से संबंधित एक और वचन पूरा हो गया है।

ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने बताया कि सरल बिजली बिल स्कीम के सभी उपभोक्ता योजना में शामिल होंगे। सरल बिजली बिल के प्राप्त/ लंबित पात्र आवेदन भी इस योजना में मान्य होंगे। योजना 25 फरवरी एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू होगी। हितग्राहियों के बिल की गणना विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ अनुसार की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिये आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित दर से बिलिंग की जायेगी। शहरी क्षेत्रों में मीटर के आधार पर ही बिलिंग होगी।

सरल स्कीम के अजा–अजजा उपभोक्ता को पूर्ववत मिलेगा लाभ

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे घरेलू सरल उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ मिलेगा तथा वर्तमान में प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रभार व ईधन प्रभार की छूट भी जारी रहेगी। किसी माह में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर प्रचलित टैरिफ अनुसार 100 यूनिट से अधिक की खपत पर लागू ऊर्जा प्रभार, एफसीए, मीटर प्रभार, विद्युत शुल्क का भुगतान उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा। 100 यूनिट से अधिक खपत पर नियत प्रभार में होने वाली वृद्धि के अन्तर की राशि भी हितग्राही द्वारा स्वयं देय होगी।

वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जायेंगे। योजना में जारी किये जाने वाले बिलों में शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

आगामी बिलिंग से उप–भोक्ताओं को लाभ देने के लिए बिजली कंपनियों के साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन यथाशीघ्र करने के निर्देश दिये गये हैं। घरेलू उपभोक्ता के लिए लागू अन्य सबसिडी यथावत जारी रहेगी।

योजना में 1000 वॉट तक के संयोजित भार उपभोक्ता शामिल

श्री सिंह ने बताया है कि जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व में मीटर स्थापित थे, वहाँ मीटर खराब होने पर विगत 3 माह की औसत खपत 100 यूनिट से कम होने पर तदनुसार मान्य की जाएगी। औसत खपत 100 यूनिट से अधिक होने पर बिलिंग की सीमा 100 यूनिट होगी। खराब मीटर को बदलने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। योजना में पूर्ववत् मात्र 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले उपभोक्ता शामिल होंगे। एयर कंडीशन एवं हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता पात्र नहीं होंगे।

सफलता की कहानी :

ग्राम गोराडिया जागीर बनेगा पहला डिजिटल विलेज

खरगोन। ग्राम गोराडिया जागीर खरगोन जिले का पहला डिजिटल विलेज बनेगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने डिजिटल विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जिले में एक मात्र गोराडिया जागीर का चयन किया गया है। यहां डिजिटल क्रांति से ग्रामीणों को जोड़कर सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के जरिए विभिन्न सुविधा व सेवाएं मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है। गोराडिया जागीर को रोल मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि जिले के अन्य गांवो के लिए एक मिशाल बन सके। गौरतलब है कि भारत सरकार को इस योजना के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद से देश के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में एक ग्राम का चयन किया गया है। डिजिटल विलेज प्रोग्राम के तहत ग्राम गोराडिया जागीर को चयनित किया गया है। यहां सीएससी के माध्यम से गांव को रोशनी से जगमग करने के लिए सोलर लाइट भी लगाई है। प्रमुख स्थानों पर 8 लाइटे लगाई जा चुकी है। ई–गवर्नेंस के ग्राम स्तरीय उद्यमी श्री रविंद्र वर्मा ने बताया की गांव मे एलईडी बल्ब बनाने की यूनिट के साथ साथ कही तरह के लघु उद्योगों की शुरुआत करना भी इस योजना के तहत प्रस्तावित है। पहले चरण में 600 परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना अनुसार सोलर लाइट एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग, बैंकिंग सेवाएं, नाइलेट के कम्प्यूटर कोर्सेस आदि के साथ साथ विभिन्न ट्रेनिंग दी जाएगी।

ग्रामीणों को मिलेगी सुविधाएं

सीएससी सेंटर पर नाइलेट के ऑनलाईन पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के अलावा पेन कार्ड, बीमा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेल्वे रिजर्वेशन, आयुष्मान भारत योजना, दिव्यांगजनों का निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण, किसान ई–स्टोर आदि ऑनलाईन कार्यो की सुविधा मिलेगी। बैंकिंग संवाद करता के माध्यम से ग्रामीण चाहे तो पेशनर ही क्यों ना हो बिना बैंक गए सीएससी सेंटर पर रकम जमा व निकासी कर सकते है, जिससे गांव के लोगो को शहर मे जाने आने की दिक्कत से निजात मिलेगा और समय व धन दोनों की बचत भी होगी। ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओ से लाभांवित भी किया जाएगा।

गांव के बच्चों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा (बीसीसी, सीसीसी, टेली कौशल प्रमाण पत्र) मुहैया कराने के अलावा ग्रामीणों की सुविधा के लिए डिजिटल डॉक्टर केंद्र भी खुलेगा, ताकि वीडियों कॉफ्रेंसिंग के जरिए बड़े शहरो दिल्ली एवं मुंबई के नामी डॉक्टरों से परामर्श के साथ उपचार लाभ भी लिया जा सकेगा।

पंचायतराज प्रतिनिधियों की कहानी उनकी जुबानी

जमीन स्तर पर विकास और सामाजिक चेतना विकसित करने में पंचायतें सक्षम

भोपाल। प्रदेश में पंचायतराज व्यवस्था के बाद से पंचायत प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी से सफलता के नये आयाम तय किये हैं। प्रदेश में स्थानीय स्व–शासन संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित कर उनकी विकास में सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई गई है।

इसी क्रम में भोपाल में आयोजित पंचायत राज प्रतिनिधियों की कौशल संवर्धन कार्यशाला में आये सरपंचगण ने अपने विचार व्यक्त किये –

नरसिंहपुर जिले के चावरमाढ़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सडूयर की युवा सरपंच कु. मोना कौरव, जो एम.एस.सी., एल.एल.बी. तक शिक्षित हैं, उन्होंने पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी पर शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रियता से कार्य करती हैं। कु. मोना ने अपने कार्यकाल में गाँव के 200 वर्ष पुराने तालाब को ग्रामीणों के सहयोग से पुनर्जीवित किया है। पंचायत को ओडीएफ बनाने के साथ, 100 गोबर गैस प्लांट और 100 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी करवाया है।

मंदसौर जिले की दलोदा चौपाटी ग्राम पंचायत प्रदेश की एक मात्र ग्राम पंचायत है, जिसे 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पंचायत के सरपंच श्री विपिन जैन ने बताया कि उनकी पंचायत विभिन्न स्रोतों से प्रतिवर्ष 60 लाख रुपये की आय अर्जित करती है। जन–सहयोग से 570 स्ट्रीट लाइट पोल लगाकर ग्राम पंचायत का शत–प्रतिशत ऊर्जीकरण किया गया है। पहली ग्राम पंचायत है, जिसमें वॉटर एडीएम, सॉलिड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने में सफलता हासिल की है।

दमोह जिले की कुंवरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच सोमेश गुप्ता ने गाँव के साढ़े तीन सौ परिवारों को भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाकर स्व–रोजगार गतिविधियों से जोड़ा है।

प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए हम विकास का नया नक्शा बनायेंगे

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा देश की पहली मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिये हम विकास का एक नया नक्शा तैयार करेंगे। इसमें कृषि के विकास के साथ नौजवानों को रोजगार देने के सुनिश्चित प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि 57 दिन में नई सरकार एक ओर जहाँ कृषि क्षेत्र को ताकत देने के लिये किसानों का कर्जा माफ किया है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार नौजवानों के लिये हम मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरूआत कर रहे हैं। श्री नाथ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में देश की पहली मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में युवा हितग्राहियों को 100 दिन रोजगार के प्रमाण–पत्र वितरित कर रहे थे। इस मौके पर भोपाल जिले के प्रभारी एवं सहकारिता तथा सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह और महापौर श्री आलोक शर्मा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की है। हमारी अर्थ–व्यवस्था की बुनियाद खेती–किसानी है। अगर हम किसानों द्वारा उत्पादित उपज का वाजिब दाम नहीं दिला सके, तो हम अपनी अर्थ–व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते। अगर किसानों की क्रय शक्ति नहीं होगी, तो हमारी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा और प्रदेश का विकास बाधित होगा। हम किसानों को ताकत देने के लिये आज से कर्ज माफी की शुरूआत से करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों को रोजगार देने की है। आज का नौजवान संचार संसाधनों से लैस है। उसे कोई ठेका नहीं चाहिए। कमीशन नहीं चाहिए। उसे रोजगार चाहिए। अगर हमारा नौजवान निराश रहा, उसके जीवन में भटकाव रहा, तो हम अपने प्रदेश के बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर पायेंगे। इसके लिये हम प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना से हम अपने नौजवान को काम दे पायेंगे। युवा स्वाभिमान योजना इस दिशा में हमारा प्रयास है। हम नौजवानों को 100 दिन में चार हजार रूपये प्रतिमाह उपलब्ध करायेंगे। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे, जिससे वे आत्म–निर्भर बन सकें।

श्री कमल नाथ ने कहा कि नई सरकार ने अपने वचन–पत्र को पूरा करने के लिये सुनियोजित प्रयास शुरू कर दिये हैं। कर्ज माफी के बाद बेरोजगार नौजवानों को काम देने के लिये हम आज से **युवा स्वाभिमान योजना** प्रारंभ कर रहे हैं। सरकार ने पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 रूपये कर दी है। हम प्रदेश के नागरिकों को विश्वास दिलाते हैं कि जो वचन–पत्र हमारी सरकार का है, उसे अगले पाँच साल में पूरा करेंगे। उन्हें निराश नहीं होने देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नारे लगाकर, पोस्टर, होर्डिंग की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। हम कोई मेक इन इंडिया, स्टेण्ड अप इंडिया, डिजीटल इंडिया का दावा नहीं करते। इस दिशा में हम वास्तविक काम करके दिखायेंगे।

जनसम्पर्क एवं विधि–विधायी कार्य मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पद सम्हालते ही 52 दिन में 26 वचन पूरे कर दिये हैं। युवा स्वाभिमान योजना पूरे देश में पहली ऐसी योजना है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये बनायी गयी है। सरकार का एक ही संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी युवा–युवती बेरोजगार न रहे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश बढ़े, इसके लिये हाल ही में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ गोलमेज कान्फ्रेंस की, हवाई सेवा की शुरूआत की। उनके ये कदम प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जायेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बेरोजगारों को सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें 100 दिन में आर्थिक सहयोग करने की देश की पहली मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना मील का पत्थर बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ की यह सोच है कि प्रदेश के युवा आत्म–निर्भर बनें। योजना में 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवक–युवतियों को लाभान्वित किया जायेगा। उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। यही नहीं, हम प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये औद्योगिक कम्पनियों को बुलायेंगे। राज्य सरकार की मध्यस्थता में हम उन्हें फुल टाईम रोजगार दिलवायेंगे। श्री सिंह ने कहा कि 10 दिन में प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक नौजवानों ने योजना में पंजीयन करवाया है। नगरीयविकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छिन्दवाड़ा में जो विकास मॉडल लागू किया है, वही मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के प्रथम हितग्राही बने शनी दुबे

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने योजना की शुरूआत करते हुए भोपाल के श्री शनी दुबे सहित 12 युवक–युवतियों को प्रमाण–पत्र वितरित किये। इन्हें कम्प्यूटर रिपेयरिंग, हेल्थ जीडी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल ड्यूटी, कार्यालय सहायक, हेयर स्टाईल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रानिक आदि के क्षेत्र में काम मिलेगा। साथ ही उन्हें विभिन्न विधाओं में उनकी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इस मौके पर एम.पी. नगर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग व्यवस्था के शुभारंभ के साथ ही स्मार्ट बिन्स, ट्रांसफर स्टेशन तथा वेक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

समारोह के अंत में विधायक श्री आरिफ मसूद ने आभार माना। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की रूपरेखा बताई। इस मौके पर विधायक श्री कुणाल चौधरी, नगर निगम परिषद के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान, श्री कैलाश मिश्रा, पूर्व महापौर श्री सुनील सूद, श्री जहीर अहमद सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और युवक–युवतियाँ उपस्थित थे।

जो उद्योग जितना अधिक रोज़गार देगा, उसे उतनी अधिक सुविधाएँ मिलेंगी

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गोलमेज कांफ्रेंस में उद्योगपतियों से की विस्तृत चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि हम मध्यप्रदेश में निवेश के लिए एक नया वातावरण और नयी कार्य–संस्कृति बनायेंगे, जो निवेशकों के विश्वास को न केवल लौटाएंगी बल्कि उसे मजबूत भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों के लिए समग्र नीति बनाने के साथ ही सेक्टर वाइज़ नीति भी बनाएंगे। प्रदेश में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे, जो अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। हमारी नीति होगी कि जो निवेश जितने अधिक रोज़गार देगा, उसे उतनी ही अधिक सुविधाएँ मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री नाथ आज मिंटो हॉल में उद्योगपतियों की गोल मेज कांफ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे।

कृषि के साथ रोज़गार आधारित निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारे सामने कृषि विकास के साथ–साथ रोज़गार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती और सर्वोच्च प्राथमिकता है। निवेश स्वतः आकर्षित हो, ऐसी नीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जो हमारे कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश से ही रोज़गार दे पाना सम्भव है। उन्होंने कहा कि निवेश को दबाव से नहीं लाया जा सकता। उसके लिए हमें ऐसी नीतियाँ और वातावरण बनाना होगा, जिससे निवेश स्वतः हमारे प्रदेश की ओर आकर्षित हो। हम इसी विचार के साथ मध्यप्रदेश में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मध्यप्रदेश में सरकार और निवेशकों के बीच में बेबाक साझेदारी चाहते हैं।

स्थापित उद्योगों की समस्या और जरूरत के लिए कांफ्रेंस

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की ये बैठक निवेश के लिए नहीं बल्कि हम इस बैठक के जरिए उन उद्योगों की समस्याओं और जरूरतों को जानना चाहते हैं जो पूर्व से ही हमारे प्रदेश में उद्योग चला रहे हैं। सबसे पहले हमारा लक्ष्य स्थापित उद्योगों के सामने उपस्थित समस्याओं और आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि उससे यह संदेश जाए कि मध्यप्रदेश में सरकार निवेशकों के सहयोग के लिए तत्पर है।

आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो

श्री नाथ ने कहा कि हमारी नीति होगी कि हम मध्यप्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करें। इससे जहाँ एक ओर प्रदेश का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। प्रदेश में निवेश के लिए तंत्र की कार्य–शैली और सोच में परिवर्तन लाएंगे। एक नये दृष्टिकोण के साथ इस दिशा में राज्य शासन काम कर रहा है।

समग्र नीति के साथ सेक्टर वाइज़ नीति बनेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र नीति के साथ–साथ हर क्षेत्र के लिए अलग–अलग नीति बनायेंगे। इससे हम उनकी जो जरूरतें हैं, उसे पूरा कर पाएंगे। निवेशक ज्यादा आसानी से निवेश कर सकेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहेगा।

रोज़गार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा

श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाईल और आई.टी. के साथ–साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश हो, इसका प्रयास करेंगे। श्री नाथ ने कहा कि ये वो क्षेत्र है, जिनसे हम प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार दे सकेंगे।

कौशल विकास की मांग–पूर्ति का अंतर समाप्त होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को उनके उद्योग के हिसाब से कौशल मिल सके, इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मांग और पूर्ति का जो अंतर है, उसे कम करना चाहते हैं। उन सारी दिक्कतों और अड़चनों को दूर करेंगे जिससे प्रदेश में निवेश करना आसान हो सके। निरंतर संवाद और सुझाव के लिए हमारी सरकार के दरवाजे सदैव खुले रहेंगे।

हैण्ड होल्डर्स नियुक्त होंगे

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि निवेशकों को तंत्र में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हम उद्योग विभाग में ऐसे अनुभवी अधिकारियों को पदस्थ करेंगे, जो **हैण्ड होल्डिंग** की नीति पर काम करेंगे। हैण्ड होल्डर्स दस–बारह यूनिट के बीच नियुक्त होंगे और उनकी समस्याओं और जरूरतों पर काम करेंगे। ये अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री के सम्पर्क में रहेंगे और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। इनके जरिए प्रदेश में निवेश का बेहतर वातावरण बनायेंगे।

नागरिकों की जीवन–यापन शैली को समृद्ध करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देकर हम प्रदेश के नागरिकों की जीवन–यापन की शैली को समृद्ध बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के जो लोग एक बार खाना खाते है, उन्हें दो बार का भोजन मिले। जो दो बार भोजन कर रहें हैं, उन्हें और अच्छा भोजन मिले। वे एक सम्मानित जीवन, खुशहाली के साथ जी सकें।

निवेश बढ़ाएँ सुविधा–संसाधन सरकार देगी

मुख्यमंत्री ने कांफ्रेंस में आए सभी उद्योगपतियों से आग्रह किया कि प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण के लिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस पर अपने सुझाव दें। निवेश बढ़ाएँ। इसमें जो भी सुविधाएँ और संसाधान चाहिए, वह सरकार उपलब्ध करवाएगी।

मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कार्यभार संभालने के बाद उद्योगों से संवाद कायम कर एक नया वातावरण बनाया है। प्रदेश की निवेश नीति सुदृढ़ हो और जीवंत संवाद हो, इसके लिये राज्य शासन इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है।

प्रदेश में सिंचाई योजनाएँ समय पर पूरी की जाये : मंत्री श्री कराड़ा

जल संसाधन मंत्री श्री कराड़ा ने की योजनावार समीक्षा

भोपाल। जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई योजनाएँ समय पर पूरी की जायें। उन्होंने कहा कि किसानों और सिंचाई से जुड़े वचन–पत्र के मुद्दों पर शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। जल संसाधन मंत्री श्री कराड़ा भोपाल में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रदेशभर के मुख्य अभियंता मौजूद थे। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जायेगा एवं जो ठीक काम नहीं करेंगे, उन्हें दण्डित किया जायेगा।

श्री कराड़ा ने निर्देश दिये कि मैदानी अधिकारी जमाबंदी के आधार पर सिंचाई रकबे के वास्तविक आंकड़े अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को सिंचाई रकबे का वास्तविक सत्यापन करने के निर्देश भी दिये। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गठित सिंचाई समितियों को मजबूत किया जाये। उन्होंने कहा कि वचन–पत्र के मुताबिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर हर खेत तक पानी पहुँचाने के ठोस प्रयास किये जायें।

अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री आर.एस. जुलानिया ने बताया कि प्रदेश में विभाग ने रबी सीजन में 27 लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह सिंचाई क्षमता करीब 9 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 30 वृहद, 58 मध्यम और 378 लघु सिंचाई योजनाओं

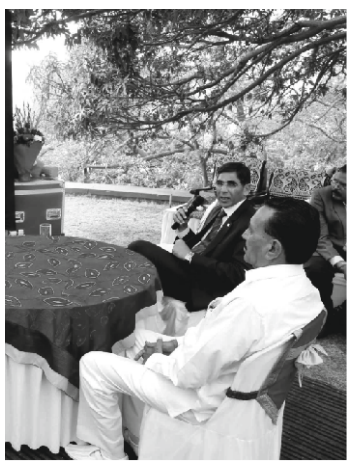

पर तेजी से काम किया जा रहा है। निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं की लागत करीब 40 हजार करोड़ रुपये है। विभाग ने बुंदेलखण्ड सिंचाई परियोजना के माध्यम से 10 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की है। बैठक में विभाग के जलाशय और उनसे निर्मित सिंचाई क्षमता के रकबे के संबंध में भी चर्चा की गई।

बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता श्री राजीव कुमार सुकलीकर ने अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं और उनके मुद्दों की जानकारी दी।

सबको समय पर न्याय मिलेगा तो लोकतंत्र होगा मजबूत : मुख्यमंत्री

जबलपुर में म.प्र. न्यायाधीश संघ के अधिवेशन का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जबलपुर में मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ के अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा आधार न्याय है। सबको समय पर न्याय मिलेगा, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर तीन दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एस.के. सेठ की अध्यक्षता में शुरू हुए अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि विधि एवं विधायी कार्य, जनसम्पर्क तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा थे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि लोगों को न्याय मिलने से ही लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। मध्यप्रदेश सरकार न्यायिक व्यवस्था को सभी आवश्यक संसाधन और सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में पीछे नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुनिया के लिए आदर्श बताते हुए कहा कि विविधता से परिपूर्ण हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ही हमारे लोकतंत्र को पोषित और संरक्षित कर रही है। उन्होंने कहा लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। स्वतंत्रता और समानता की सीमाएँ हैं परन्तु न्याय असीमित है। न्याय ही हमें स्वतंत्रता और समानता दिलाता है। हमें यह बात हमेशा ध्यान रखना होगी कि जब तक सबसे निर्धन और कमजोर तबके तक न्याय नहीं पहुँच जाता, तब तक न्याय का काम पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए न्यायिक संरचना को और अधिक सशक्त बनाना होगा। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में सरकार पूरा सहयोग करेगी। श्री नाथ ने कहा कि आज के दौर में न्यायपालिका को नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आधुनिक रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने की बात कही।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस एस. के. सेठ ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद मध्यप्रदेश में न्यायिक प्रतिबद्धता का स्तर सराहनीय है। उन्होंने मेडिको लीगल प्रकरण, मुकदमों एवं लम्बित मामलों की बढ़ती संख्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में नई भर्तियों, सुचारू संचालन के साथ–साथ आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से न्यायपालिका की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है।

विधि–विधायी कार्य मंत्री श्री शर्मा ने पुलवामा में शहीद हुए जबलपुर जिले के श्री अश्वनी कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जबलपुर से पूरे प्रदेश में संस्कार का संचार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वचन–पत्र के मुताबिक न्यायिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास और न्यायालयों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देगी।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज श्री एच.जी. रमेश, पोर्टफोलियो जज श्री आर.एस. झा, राज्यसभा सांसद श्री विवेक तन्खा, महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र तिवारी, न्यायाधीश संघ के अध्यक्ष श्री डी.के. नायक ने भी विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर म.प्र. उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायाधीश संघ के पदाधिकारी मौजूद थे।

फसल ऋण माफी संबंधी कार्यक्रम तहसील स्तर पर होंगे

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की समसामयिक गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती ने कहा है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र वितरण का कार्य 22 फरवरी से आरंभ। यह प्रक्रिया एक हफ्ते के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी। ऋण माफी संबंधी समस्त कार्यक्रम तहसील स्तर पर आयोजित किए जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ भी तहसील स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोहन्ती मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमिशनर्स तथा कलेक्टर्स को सम्बोधित कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में युवा स्वाभिमान योजना, किसान सम्मान निधि योजना तथा अन्य समसामयिक गतिविधियों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने कहा कि प्रदेश ऋण माफी जैसी वृहद योजना को दो माह में पूर्ण करने जा रहा है। बैंकों, सहकारी समितियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग और टीम भावना से ही इस चुनौती को साकार करने में सफलता मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा प्रमुख सचिव सहकारिता ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में व्यवस्थागत दिशा–निर्देश भी दिए।

युवा स्वाभिमान योजना के संबंध में जानकारी दी गई की 21 से 30 वर्ष आयु समूह के बेरोजगार युवकों को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से आरंभ इस योजना में 12 फरवरी से पंजीयन शुरू हुआ है। अब तक 14 हजार युवाओं द्वारा पंजीयन करवाया गया है। कौशल विकास केन्द्रों में 6 मार्च से प्रशिक्षण प्रक्रिया आरंभ होगी। नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में तीन सदस्यीय निगरानी समिति गठित की जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को 22 मार्च को स्टायपेंड का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कौशल विकास केन्द्रों में न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति और नगरीय निकायों के कार्य दिवस में न्यूनतम 33 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने निर्देश दिए कि योजना में अर्हता पूरी करने और आवश्यकतानुसार उपस्थिति होने पर ही युवाओं को भुगतान किया जाए। आगामी समय में बिजली आपूर्ति, पेयजल, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के पालन और कानून–व्यवस्था की स्थिति की ओर निरंतर संवेदनशीलता तथा सक्रियता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और सभांगायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के कार्यो के संबंध में अपने स्तर पर ही निर्णय लें।

प्रमुख सचिव किसान कल्याण श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव गृह एवं परिवहन श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव श्रम तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास श्री प्रमोद अग्रवाल तथा अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे।

किसानों से सहकारी समितियों से सम्पर्क करने का अनुरोध

किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित मूंग, उड़द और मूंगफली के भुगतान की व्यवस्था

भोपाल। खरीफ–2018 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के 35 जिलों में मूंग, उड़द और मूंगफली का उपार्जन कर किसानों को राशि का भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। प्रदेश में मूंग का 2129.52 मीट्रिक टन, उड़द का 351778.43 मीट्रिक टन और मूंगफली का 28485.14 मीट्रिक टन उपार्जन समितियों ने किया है। ई–उपार्जन पोर्टल के आधार पर भारत सरकार की समर्थन मूल्य योजना में 2028.77 मीट्रिक टन मूंग, 339185.52 मीट्रिक टन उड़द और 28324.37 मीट्रिक टन मूंगफली का उपार्जन किया गया है जो उपार्जित मात्रा का 97 प्रतिशत है।

प्रदेश में उपज का मूल्य समय पर देने की सुदृढ़ व्यवस्था का लाभ किसानों को मिल रहा है। ई–उपार्जन पोर्टल के आधार पर किसानों के लिये राशि के भुगतान की कार्यवाही विपणन संघ के जिला कार्यालयों के माध्यम से की गई है। मूंग के लिये 1415.17 लाख रूपये, उड़द के लिये 189943.91 लाख और मूंगफली के लिये 204791 लाख रूपये का भुगतान उपार्जन समितियों को किया गया है। शीघ्र ही किसानों के खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। कृषक बंधुओं से भी सहकारी समितियों से सम्पर्क कर अपनी उपज का मूल्य प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।

''निरामयम'' योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते है

विदिशा। आयुष्मान भारत ''निरामयम''योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही अपना गोल्डन कार्ड बनाने के लिए परिवार की समग्र आईडी और आधार कार्ड लेकर किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार इस योजना में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति गणना में चिन्हित वंचित श्रेणी के परिवार तथा खाद्य पात्रता पर्चीधारक और असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूर परिवार सम्मिलित है। गोल्डन कार्ड बनवाकर नागरिक शासन द्वारा चिन्हित अस्पतालों में अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार में एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख तक का केशलेस निःशुल्क इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 14555 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

मंत्री डॉ. सिंह ने दतिया में किसानों को सौंपे ऋण माफी प्रमाण-पत्र और सम्मान-पत्र

भोपाल। सहकारिता, सामान्य प्रशासन, संसदीय कार्य और दतिया जिला प्रभारी मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने दतिया में जय किसान ऋण माफी योजना में किसानों को प्रमाण–पत्र और सम्मान–पत्र प्रदान किये। जिले में योजना के 72 हजार 571 प्रपत्र भरे गये हैं। मंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने उन किसानों को भी लाभांवित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने सम्पूर्ण ऋण चुका दिया है। मंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वभिमान योजना की शुरूआत की गई है, जिससे शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्व–रोजगार प्रशिक्षण और 4000 रूपये तक स्टायफण्ड की राशि दी जाएगी।

मंत्री डॉ. सिंह ने गोपाल पुरस्कार योजना में श्री राजेश यादव को हरियाणा नस्ल की गाय के पालन के लिये 50 हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया। श्री हरि शरण को द्वितीय और श्री राम गुलाम पाल को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इन सभी गौ पालकों की गाय 14 से 16 लीटर प्रतिदिन दूध देती हैं। योजना में अच्छी नस्ल के अन्य पशु पालक भी पुरस्कृत किये गये। मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने 18 करोड़ 50 लाख की लागत से बने केन्द्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद और क्षेत्रीय विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्र उपस्थित थे।

बीमारियों पर नियंत्रण के लिये बहु–विभागीय समन्वय जरूरी

एनीमल डिसिज कंट्रौल–नेशनल सेमीनार में एसीएस श्री श्रीवास्तव

भोपाल। पशुओं में होने वाली ब्रूसेलोसिस, रैबीज, ग्लैण्डर्स आदि बीमारियों के इलाज के लिये बहु–विभागीय समन्वय की आवश्यकता है। अपर मुख्य सचिव, पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव यहाँ पशुओं की ब्रुसेलोसिस और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

एसीएस श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यह समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य में होने वाली कुल बीमारियों में से 60 प्रतिशत बीमारियाँ पशुओं द्वारा संक्रमित होती हैं। कुल 1415 पेथोजेन्स हैं जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। इनमें से 61 प्रतिशत पशुओं द्वारा संक्रमित होते हैं। इसलिये पशुओं की बीमारियों का कोई एकयामी और मात्र विभागीय तरीके से चलाये जाने वाले नियंत्रण कार्यक्रम, चाहे कितने भी अच्छे उद्देश्यों से प्रेरित हों, सफल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि रैबीज के मामले में आदमियों का इलाज करने वाली एप्रोच की जगह कुत्तों का वृहद स्तर पर टीकाकरण दुनिया भर में ज्यादा उपयोगी पाया गया है।

श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय सेमीनार में पशुपालन विभाग के चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को भी शामिल किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि पशु स्वास्थ्य सिर्फ किसी पशु या मनुष्य का शारीरिक मुद्दा नहीं है बल्कि हमारी अर्थ–व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। गरीबी मिटाने के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में पशु स्वास्थ्य के सुनिश्चयन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सेमीनार में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ हिसार, बैंगलोर और अन्य शहरों के संस्थानों से आये वैज्ञानिकों ने भी विचार व्यक्त किये।

उद्योग स्थापना के लिए दस लाख से दो करोड़ तक ले सकते हैं ऋण

विदिशा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वंय के नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु दस लाख से दो करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कियान्वित की जा रही है। जिसमें आवेदक को कक्षा दसवीं उत्तीर्ण एवं आयु 18 से 40 वर्ष होना आवश्यक है। इस योजना में सामान्य वर्ग के आवेदकों को पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रूपए 12 लाख, बीपीएल हेतु 20 प्रतिशत अधिकतम रूपए 18 लाख रूपए तथा पूंजीगत लागत पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष व महिला उद्यमियों हेतु छह प्रतिशत ब्याज अनुदान, अधिकतम सात वर्षो तक रूपए पांच लाख प्रतिवर्ष का भी प्रावधान है। इसमें पात्रताएं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के समान है।

इंदिरा किसान ज्योति योजना

किसानों को सिंचाई के लिए अब 44 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी बिजली

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि वचन–पत्र के वचन में **किसानों का बिजली बिल हाफ (आधा)** की पूर्ति के अंतर्गत इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू कर 10 हार्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली दी जायेगी। योजना के जरिये अब 44 पैसे प्रति यूनिट की दर पर सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी। अभी 88 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है। श्री सिंह ने बताया कि अप्रैल–2019 से योजना लागू होने पर वचन–पत्र के इस बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी।

श्री सिंह ने बताया कि अभी विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय टेरिफ अनुसार अगर कृषक 5 हार्स पावर का स्थायी कृषि उपभोक्ता है, तो उसका सालाना 46 हजार 55 रुपये का विद्युत बिल बनता है। इसमें 7 हजार रुपये किसान देता है। यह दर 88 पैसे प्रति यूनिट पड़ती थी। शेष 39 हजार 55 रुपये सरकार देती है।

ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब 46 हजार 55 रुपये में से मात्र 3500 रुपये किसान देगा। यह दर अब 44 पैसे प्रति यूनिट होगी। शेष 42 हजार 555 रुपये सरकार देगी। किसानों के लिये कुल सबसिडी जो पहले 9 हजार 700 करोड़ दी जाती थी, वह अब 10 हजार 400 करोड़ रुपये दी जायेगी।

इसी प्रकार 10 हार्स पावर तक के किसानों को प्रति वर्ष प्रति हार्स पॉवर 1400 रुपये के स्थान पर 700 रुपये देने होंगे। इससे लगभग 19 लाख किसान लाभांवित होंगे। अस्थायी कृषि उपभोक्ताओं से अब 3.84 यूनिट के स्थान पर 1.92 प्रति यूनिट लिया जायेगा। मीटरयुक्त स्थायी कृषि संयोजन के ऊर्जा प्रभार की दर आधी होगी।

अजा–अजजा के किसानों को पूरी छूट

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक (अंत्योदय परिवार) को पहले की तरह बिजली बिल में पूरी छूट मिलेगी। इससे लगभग 8 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

लगभग 29 लाख किसान होंगे लाभान्वित

योजना में 5 हार्स पावर तक के 16 लाख स्थायी उपभोक्ता, 5 से 10 हार्स पावर तक के लगभग 3 लाख स्थायी और 2 लाख अस्थायी कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 8 लाख किसानों को निरूशुक्ल बिजली की सुविधा जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में संविदा कर्मियों से मिले मंत्री श्री मरकाम

संविदा कर्मियों को शीघ्र नियमित किया जाएगा

भोपाल। जनजातीय कार्य मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि स्वरूप संविदा कर्मियों को शीघ्र नियमित किये जाने का आश्वासन दिया। श्री मरकाम ने प्रदेश के हड़ताली संविदा कर्मियों से यादगार–ए–शाहजहाँनी पार्क में मुलाकात की।

जनजातीय कार्य मंत्री एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने के लिए गठित समिति के सदस्य श्री मरकाम ने संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री की भावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित किये जाने की कार्यवाई शीघ्र प्रारंभ की जायेगी। समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत करेगी।

मंत्री श्री मरकाम ने संविदा कर्मियों को एकता, अखंडता और देशहित में कार्य करने की शपथ दिलवाई। इसके साथ ही नशे की बुराईयों के बारे में बताते हुए उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह भी दी।

कमजोर पंचायत राज को अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा

त्रि–स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पिछले पंद्रह साल में पंचायत राज कमजोर हुआ है। विकास की बुनियाद पंचायत संस्थाओं को वही अधिकार दिये जायेंगे जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने देखा था। उन्होंने कहा कि पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को भोपाल, मंत्रियों और मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। उन्हें इतने अधिकार दिये जायेंगे कि वे अपने गाँव का विकास स्वयं कर सकें। श्री नाथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान त्रि–स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों तथा स्व–सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जनसंपर्क एवं विधि–विधायी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा एवं किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को सर्वअधिकार सम्पन्न बनाने की बुनियाद रखी

थी। दिग्विजय सिंह सरकार ने इस क्रांतिकारी संविधान संशोधन को मध्यप्रदेश में पूरे देश में सबसे पहले लागू किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का हृदय ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती ग्रामीण क्षेत्रों की कार्य–शैली पर ही आधारित है।

पंचायत प्रतिनिधि रबर स्टेम्प और लेटरपेड के प्रतिनिधि बनकर रह गये थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह साल में हमारे जिला, जनपद अध्यक्ष और सरपंच रबर स्टेम्प और लेटर पेड के प्रतिनिधि बनकर रहे गये थे। उनके पास अपने गाँव के विकास का कोई अधिकार नहीं था। श्री नाथ ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। मध्यप्रदेश में सरकार का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों से होगा। हमने अपने वचन–पत्र में वादा किया था कि पंचायत प्रतिनिधियों को सर्वशक्ति सम्पन्न बनायेंगे। उन्हें वही अधिकार दिये जायेंगे जो गांधी जी की और राजीव जी की कल्पना थी। श्री नाथ ने कहा कि राहुल गांधी जी ने पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने के लिये मुझसे विस्तार से चर्चा की थी। मैंने उनसे कहा था कि आज जो पंचायत सचिवों के चेहरे पर निराशा दिख रही है, वे जब अगली बार मध्यप्रदेश आयेंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कराहट होगी।

श्री कमल नाथ ने कहा कि नई सरकार प्रदेश के विकास की बुनियाद को मजबूत बनाने की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाना मतलब प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है। हमारी सरकार कुलीन वर्ग की सरकार नहीं है। यह गरीबों, मजदूरों और ग्रामीणों की सरकार है, जिन्हें सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 58 दिन में हमने मध्यप्रदेश में यह बताया है कि विकास की नींव किस तरह रखी जाती है। कृषि और प्रदेश के बेरोजगारों को नजरअंदाज करके हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिये हमने सबसे पहले कर्ज के बोझ से दबे किसानों का कर्जा माफ किया है और नौजवानों को काम देने की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि जब हमने अपनी सरकार बनाई तो हमें विरासत में खाली खजाना और बदहाल व्यवस्था मिली। हमारा प्रदेश बलात्कार में, किसानों की आत्महत्या में और बेरोजगारी में नंबर वन है। इन चुनौतियों का हम सामना करेंगे और प्रदेश के विकास के नक्शे को बदल देंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का आव्हान किया कि वे बदली हुई व्यवस्था को देखें, सच्चाई को पहचाने और अपना समर्थन दें। यह सरकार घोषणाओं की, विज्ञापनों की सरकार नहीं है, हम आपको काम करके दिखायेंगे और वचन–पत्र को पूरा करके आपका विश्वास हासिल करेंगे।

पंच परमेश्वर अब महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना

जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुदृढ़ बनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों की घोषणा करने के लिये जो राशि मिलती थी उसमें वृद्धि करने की स्वीकृति उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण और दक्षता का कार्यक्रम है। इसके जरिए हम पंचायत प्रतिनिधियों को बतायेंगे कि वे कैसे अपने गाँव के विकास का काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें। उन्होंने पंच–परमेश्वर योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना करने की भी घोषणा की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास में सहभागी बनें। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी
घोषणा फार्म चार (नियम 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	:	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं दिनेशचन्द्र शर्मा एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 1 मार्च 2019

(दिनेशचन्द्र शर्मा)
प्रकाशक के हस्ताक्षर

प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर
फोन : 0731-2410908, 9926451862

किसानों को फसल ऋण माफी के बाद प्रदाय किये जाएंगे उन्नत बीज

किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति कार्यशाला में मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी का वादा पूरा कर वचन पत्र का पालन किया है। उन्होंने कहा कि अब किसान भाइयों को राहत एवं आर्थिक समृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर उन्नत बीज प्रदाय किये जाएगें। इसके लिए राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा। मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह यहाँ सहकारी प्रबंध संस्थान द्वारा शाहपुरा स्थित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के सभागार में **किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति** पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि किसान भाइयों को जिंदगी भर कर्ज की स्थिति में रहने की विवशता से उबारा जाएगा। किसानों की ऋण माफी इस दिशा में एक सार्थक कदम है। अगला कदम किसान भाइयों की आर्थिक समृद्धि है। उन्होंने कहा कि उन्नत बीज प्रदाय से किसान लाभान्वित होंगे। डॉ. सिंह ने बताया कि करीब 85 प्रतिशत किसान सीमांत और लघु श्रेणी के हैं। इनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में बीज उत्पादक एवं विपणन संघ को बीज ग्रेडिंग और आपूर्ति का जिम्मा देकर गतिशील बनाया जाएगा। किसानों को मुर्गी पालन, मत्स्य–पालन, खाद्य प्र–संस्करण जैसे व्यवसाय से आमदनी बढ़ाने में सहकारी क्षेत्र पूरा सहयोग करेगा। डॉ. सिंह ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के केन्द्र सरकार के कार्यक्रम को घोषणा के स्तर से आगे ठोस धरातल पर उतारने की जरूरत बताई।

एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एवं एक्सेस विकास सेवा के कपिल पगनिश ने कहां कि खेती के एक नहीं दो पहलू होते हैं, एक खेती के पहले दूसरा उपज के बाद पहले किसान बीज, फर्टिलाइजर्स, उपकरण बगैरह खरीदते हैं। बाद में फसल बेचते हैं। इस बीच व्यापारियों एवं किसानों के बीच वैल्यू चेन होती है। इसमें व्यापारियों को तो फायदा होता है, लेकिन जोखिम सिर्फ किसानों के हिस्से आता है। इस रिस्क को खत्म करना होगा। साथ ही बाजार को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। इसके लिए हमें यह मानसिकता बनानी होगी कि खेती व्यवसाय है। तभी किसान अपनी आयु दोगुनी कर सकते हैं। दिल्ली से आए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के सचिव श्री मोहन मिश्रा ने कहा कि खेती को व्यवसाय बनाने के लिए विचार अब आंदोलन बनकर उभर रहा है। इफको के राज्य प्रबंधक श्री जोशी ने किसानों की आय बड़ाने हेतु फसल, पशु धन उत्पादकता में सुधार, संसाधन उपयोगिता क्षमता में वृद्धि, फसल संघनता में वृद्धि, अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर विविधता, किसान की फसल का उचित मूल्य तथा खेती से गैर कृषि व्यवसायों की ओर बदलाव पर जोर दिया। उपायुक्त सहकारिता श्री प्रेम द्विवेदी ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किये। सहकारी प्रबंध संस्थान के प्रभारी निदेशक श्री टी.जी. षडाक्षरी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला में कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी नाबार्ड, सहकारी बैंक प्रबंधन, कृषक, कृषि विशेषज्ञ और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध होगी युवा स्वाभिमान योजना

अभी तक 79 हजार 400 युवाओं ने करवाया पंजीयन

भोपाल। नगरीय विकास एंव आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया कि प्रदेश के शहरी युवा बेराजगारों को मनपसंद क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देते हुए युवा स्वाभिमान योजना लागू की गयी है। योजना के जरिये वर्ष 2019 की स्थिति में प्रदेश में युवाओं की संभावित संख्या 6.50 लाख को आने वाले समय में आत्म–निर्भर बनाने के लिये व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना में अभी तक 79 हजार 400 युवाओं ने पंजीयन करवा लिया है। योजना में जीवन–यापन की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार देना शामिल है।

यह होगी पात्रता

युवा नगरीय निकायों में निवासरत हो तथा उसकी आयु 21–30 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। पात्र युवक–युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा, उस संबंध में पहले 10 दिन में निकाय द्वारा उस कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

युवाओं को यह लाभ होगा

योजना में पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिनों के लिए, 4000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरीय निकायों में अस्थाई–रोजगार दिया जाएगा। स्टाइपेंड प्रत्येक माह के अंत में युवक–युवती के बैंक खाते में किया जाएगा। कार्य की अवधि एक माह से कम होने पर समानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा। युवाओं का 90 दिनों तक 4 घंटे नगरीय निकाय द्वारा आवंटित विहित कार्य में नियोजन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनीकी विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी को कार्य के समानुपातिक भुगतान की अर्हता होगी। भुगतान की समस्त सूचनाएँ अभ्यर्थी को SMS आदि से सतत प्रेषित की जायेंगी। कार्य में 33% एवं प्रशिक्षण में 70% न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी स्टाइपेंड भुगतान के लिए पात्र होगा।

योजना का क्रियान्वयन

योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पलिका, नगर परिषद) नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। नगरीय निकाय में पंजीयन के दौरान प्रत्येक पात्र युवा से दो विकल्प लिए जाएंगे। पहला निकाय द्वारा चिन्हांकित कार्यों में से कार्य के विकल्प, जैसे–सम्पत्ति कर की वसूली, जल कर की वसूली, सम्पत्ति कर के लिए सर्वे, निर्माण कार्यों में श्रमिक के रूप में कार्य आदि। दूसरा कौशल प्रशिक्षण के लिए क्षेत्र का चयन जिसमें कॅरियर बनाने की रुचि हो।

योजना का पंजीयन और प्रकिया

अभ्यर्थी वेबसाइट <www-yuvaswabhimaan-mp-gov-in> पर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन में अभ्यर्थी को अपनी पसंद के तीन नगरीय निकाय, तीन कार्य एवं तीन कौशल प्रशिक्षण ट्रेड प्राथमिकता क्रम में चयन के विकल्प उपलब्ध होंगे।

एक करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए प्रदेश के जवान श्री अश्विनी कुमार काछी के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार को एक करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। श्री नाथ ने कहा कि शहीद परिवार को एक निरूशुल्क आवास और नौकरी भी दी जाएगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।